भागचन्द — सुरेन्द्र आदि नं. 0. 218/12

दिनांक	आज्ञा पत्र	
3.6.24	पत्रावली पेश है। विचारण न्यायालय का रिकार्ड मय फाइल से तलब किया जाये। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है। पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 5.7.24 को पेश हों।	
5.7.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट उप. वास्ते रिकार्ड तलबी दिनांक 22.8.24 को पेश हो।	
22.8.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट उप. अदालत का रिकार्ड प्राप्त। वास्ते बहस दिनांक 4.10.24 को पेश हो।	
4.10.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस दिनांक 18.10.24 को पेश हो।	
18.10.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस दिनांक 21.10.24 को पेश हो।	
21.10.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश। दिनांक 25.10.24 को पेश हो।	
25.10.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 218/2012

1 भजनदास चेला स्व. हणमानदास जाति स्वामी निवासी कांवट तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर पुजारी मन्दिर श्री बालाजी वाके ग्राम कांवट तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
2 मूर्ति मन्दिर श्री बालाजी वाके ग्राम कांवट तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर जरिये सेवायत व पुजारी एवं नेकस्ट फ्रेण्ड भजनदास चेला हणमानदास उपरोक्त

अपीलांट

बनाम

1 सुरेन्द्र पुत्र रामस्वरूप जाति संधी महाजन
2 कमल धन्नाका पुत्र रामकिशोर धन्नाका जाति महाजन
निवासीगण कांवट तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध डिक्री एवं निर्णय दिनांकित 26.07.2012 न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला सीकर पीठासीन अधिकारी श्री शुभकरण बेनीवाल आरएएस दावा संख्या 26/2012 बउनवानी भजनदास बनाम सुरेन्द्र आदि दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्रसाणार्थ (जिस आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का आवेदन स्वीकार कर खारिज कर दिया)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—25·10·24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 26/2012 में पारित निर्णय दिनांक 26.07.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 2853 लगायत 2867 वाके ग्राम कावंट तहसील श्रीमाधोपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने आवेदन आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करके वादी का वाद विधि सम्मत नहीं होने (पोषणीय नहीं होने) की फाईडिंग देकर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर डिक्री पारित की है। ग्राम कांवट तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की तन में अपीलान्ट संख्या 2 माफी मन्दिर श्री बालाजी वाके ग्राम कांवट की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 2853 रकबा 0.07 है., खसरा नम्बर 2854 रकबा 0.09 है., खसरा नम्बर 2855 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 2856 रकबा 0.02 है., खसरा नम्बर 2857 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 2858 रकबा 0.12 है., खसरा नम्बर 2859 रकबा 0.06 है., खसरा नम्बर 2860 रकबा 0.04 है., खसरा नम्बर 2861 रकबा 0.09 है., खसरा नम्बर 2862 रकबा 0.09 है., खसरा नम्बर 2863 रकबा 0.09 है., खसरा नम्बर 2864 रकबा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

0.75 है., खसरा नम्बर 2865 रकबा 0.28, खसरा नम्बर 2866 रकबा 0.07 है., खसरा नम्बर 2867 रकबा 0.05 है. कुल किता 15 कुल रकबा 1.93 है. अवस्थित है। अपीलान्ट संख्या 2 का अपीलान्ट संख्या 1 पुजारी होकर वादमित्र है जो कि माफी मन्दिर श्री बालाजी की सेवा पूजा अर्चना करता है व सम्पतियों की देखभाल करता है माफी मन्दिर श्री बालाजी शाश्वत नाबालिक होने के कारण उसे धारा 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संरक्षण प्राप्त है जिस कारण माफी मन्दिर श्री बालाजी के कब्जा काश्त खातेदारी की भूमियों को किसी अन्य उपयोग हेतु अनाधिकृत कब्जा करके, जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने, कच्चा अथवा पक्का निर्माण करने, कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ काम में लेने अथवा माफी मन्दिर श्री बालाजी की भूमि के कूटरचित दस्तावेजात पट्टा आदि प्राप्त कर अनाधिकृत कब्जा करने का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अथवा किन्ही दिगर को कोई कानूनी अधिकार नहीं है नाही शाश्वत नाबालिक की सम्पत्ति के संबंध में प्रस्तुत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के वाद को सरसरी तोर पर खारिज किया जा सकता है। फिर भी विचारण न्यायालय ने माफी मन्दिर श्री बालाजी की कृषि भूमियों के संबंध में प्रस्तुत किया गया स्थायी निषेधाज्ञा के वाद को आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया जिसका विचारण न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री एवं निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरित होकर आरबीट्रेरी है। जिस कारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री एवं निर्णय को अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का प्रतिवादीगण से नातो जवाब प्राप्त किया नाही तनकियात कायम करके दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर वादपत्र को निर्णित किया। विचारण न्यायालय ने वादग्रस्त भूखण्ड खसरा नम्बर 2863 में होना तथा पुराने मकान तोड़कर नये मकान करने एवं ग्राम पंचायत द्वारा खसरा नम्बर 2863 का पट्टा जारी करना एवं उक्त पट्टा को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज नहीं करवाया जाना अंकित करके परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को मध्य

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नजर रखते हुए वादपत्र को पोषणीय नहीं होने के आधार पर खारिज करके कानूनी भूल की है। क्योंकि माफी मन्दिर श्री बालाजी की भूमि का यदि कोई पट्टा जारी भी करे तो वह पट्टा प्रारम्भ से ही कूटरचित होकर अवैध शुन्य एवं प्रभावहीन है तथा शाश्वत नाबालिक की सम्पत्ति पर शाश्वत नाबालिक का ही कब्जा माना जाने का कानूनी प्रावधान है एवं यह एक साक्ष्य का विषय है जिसे साक्ष्य लेकर ही निर्णित किया जा सकता है यदि वादपत्र में साक्ष्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न भी हो तो भी विवाद्यक कायम करके साक्ष्य के आधार पर निर्णित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है परन्तु विचारण न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री को विधि के प्रावधानों के विपरित पारित कर दिया इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री एवं निर्णय को अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विवादग्रस्त आराजियात माफी मन्दिर श्री बालाजी वाके कांवट के नाम से दर्ज रिकार्ड है। जिसमें कुल खसरा नम्बर 15 में से खसरा नम्बर 2854, 2858, व 2862 ही कृषि कार्य के उपयोग में आ रही है अवशेष समस्त भूमि गैर कृषि कार्य में उपयोग में आ रही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में अंकित खसरा नम्बर में प्रतिवादीगण का भूखण्ड है जिसका ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा भी जारी किया गया है ग्राम पंचायत के पट्टे के आधार पर विक्रय लेख भी पंजीबद्ध हुआ है। विवादग्रस्त भूखण्ड खसरा नम्बर 2863 में होना तथा पुराने मकानात तोड़ कर नया निर्माण करना मौका कमिश्नर में स्पष्ट अंकित किया है। वादी द्वारा उक्त पट्टे के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना अथवा अन्य खसरा नम्बर पर अन्य व्यक्तियों द्वारा निर्माण कार्य कर रिहायशी मकानात एवं दुकाने बनाकर आबाद होने पर उनके विरूद्ध कभी कार्यवाही करना नहीं पाया जाता है ना ही उक्त वाद में उन्हें पक्षकार ही बनाया गया है। वाद पत्र पुजारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। खातेदार माफी मन्दिर है। प्रा. पत्र 6(17) खारिज किया गया है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

वादी द्वारा वाद पत्र रा. का. अधि. 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। जो परिस्थिति जन साक्ष्यों को मध्य नजर रखते हुए पोषणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में वाद पत्र में प्रस्तुत प्रा.पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी अपीलांट द्वारा मूर्ति मन्दिर की भूमि के हितार्थ वाद प्रस्तुत किया गया है। विवादित भूमि मूर्ति मन्दिर की होना राजस्व रिकार्ड से प्रमाणित है। मूर्ति मन्दिर की भूमि की रक्षा का दायित्व राजस्व एजेन्सी का भी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन वाद को तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई निस्तारण करने के स्थान पर विधि द्वारा वर्जित मानकर खारिज करने में विधिक त्रुटि की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रक्रिया अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 25.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवा[illegible])
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर